

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-27/2016(जीसीएमएस नम्बर 2016/00021)

01. चिरंजीलाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
02. तेजाराम पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
03. काना पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
04. कैलाश पुत्र स्व. श्री गोविन्दा,
05. श्रीमती लड्डो पत्नी स्व. श्री गोविन्दा माली(मृतक दौराने अपील जरिये वारिसान)
5/1. प्रभू पुत्र स्व. श्री गोविन्दा माली,
06. काल्या पुत्र बट्टी माली,
07. सुखा पुत्र बट्टी माली,
08. चौथी पत्नी कजोड़ माली,
09. गंगासहाय पुत्र मूल्या माली,
10. अर्जुन पुत्र मूल्या माली,(मृतक दौराने अपील जरिये वारिसान)
10/1. श्रीमती मूली पत्नी स्व. अर्जुन माली,
10/2. रामावतार पुत्र स्व. अर्जुन माली,
10/3. छाजूलाल पुत्र स्व. अर्जुन माली,
10/4. बनवारी पुत्र स्व. अर्जुन माली, (पूर्वक मृतक पुत्र अर्जुन माली जरिये वारिसान)
10/4/1. श्रीमती हरबाई पत्नी स्व. श्री बनवारी पुत्र स्व.अर्जुन माली,
10/4/2. घनश्याम पुत्र स्व. श्री अर्जुन माली,
10/4/3. अरविन्द पुत्र स्व. श्री बनवारी पुत्र स्व. श्री अर्जुन माली,
10/4/2 व 10/4/3 नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती हरबाई पत्नी स्व. बनवारी माली, समस्त निवासी 10/1 लगायत 10/4/3 ग्राम झूमरी की को ठी कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
10/5. श्रीमति रामपति पुत्री स्व. श्री अर्जुन माली पत्नी श्री जगदीश जाति माली, निवासी ग्राम फरीदयों की ढाणी, गीजगढ़, तहसील सिकराय जिला दौसा।
11. रामकुंवार पुत्र मूल्या माली, (मृतक जरिये वारिसान)
11/1. श्रीमती नारायण पत्नी स्व. श्री रामकुंवार,
11/2. राजाराज उर्फ बच्चू सिंह पुत्र स्व. श्री रामकुंवार,
11/3. गोपाल पुत्र स्व. श्री रामकुंवार,
11/4. कमलेश पुत्र स्व. श्री रामकुंवार,
11/5. छुट्टन पुत्र स्व. श्री रामकुंवार, समस्त जाति माली निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
12. रामधन पुत्र मूल्या माली,
13. सुवा पुत्र हरफूल माली,

(2)

14. जगदीश पुत्र झूथा माली, समस्त जाति माली निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
15. खिलाडी पुत्र झूथा माली, 1 लगायत 15 समस्त जाति माली निवासी ग्राम कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
02. प्रधानाध्यापक राजकीय प्रवेशिका संयुक्त विधालय झूमरी की कोठी तहसील सिकराय जिला दौसा,
03. जिला शिक्षा अधिकारी दौसा,
04. भागीरथ,
05. रामकुंवार पुत्र परसा माली मृतक जरिये वारिसान,
5/1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री रामकुंवार माली,
5/2. कानाराम पुत्र रामकुंवार माली,
5/3. देवीसहाय सैनी पुत्र रामकुंवार माली,
5/4. राहुल सैनी पुत्र रामकुंवार माली, 4, 5/1 से 5/4 जाति माली निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
6/5. राजन्ती सैनी पुत्री रामकुंवार माली, पत्नी बाबूलाल सैनी,
6/6. उर्मिला सैनी पुत्री रामकुंवार माली, पत्नी अमित सैनी, 5/5 व 5/6 जाति माली निवासी ग्यारसा वालों का बास कोलाना बान्दीकुई जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री पवन कुमार पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/6 की ओर से

✓ अपील संख्या:-72/2016(जीसीएमएस नम्बर 2016/00039)

01. रामकुंवार पुत्र परसा, जाति माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय, जिला दौसा(मृतक दौराने अपील)
1/1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री रामकुंवार,
1/2. कानाराम पुत्र रामकुंवार,
1/3. देवी सहाय सैनी पुत्र रामकुंवार,
1/4. राहुल सैनी पुत्र रामकुंवार समस्त जाति माली निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
6/5. राजन्ती पुत्री रामकुंवार, पत्नी बाबूलाल,
6/6. उर्मिला पुत्री रामकुंवार, पत्नी अमित सैनी, समस्त जाति माली निवासी ग्यारसा वालों की ढाणी कोलाना बान्दीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलार्थीगण

P.T.O.

संज्ञित संज्ञित संज्ञित

(3)

बनाम

01. चिरंजीलाल माली,
02. तेजाराम माली,
03. काना माली,
04. कैलाश माली, पुत्रान स्व. श्री गोविन्दा, समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
05. लड्डो बेवा स्व. श्री गोविन्दा (मृतक दौराने अपील)
5/1. प्रभू पुत्र स्व. श्री गोविन्दा, जाति माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
06. काल्या माली,
07. सुखा माली पुत्रान बंदी माली समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
08. चौथी पत्नी कजोड़ माली,
09. गंगा सहाय माली,
10. अर्जुन पुत्र मूल्या माली, (मृतक दौराने अपील)
10/1. श्रीमती मूली पत्नी स्व. अर्जुन माली,
10/2. राम अवतार पुत्र स्व. अर्जुन माली,
10/3. छाजू लाल पुत्र स्व. अर्जुन माली, समस्त जाति माली, निवासीयान ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
10/4. श्रीमती रामपति पुत्री स्व. श्री अर्जुन माली पत्नी श्री जगदीश, जाति माली निवासी ग्राम फरीदियों की ढाणी, गीजगढ़ तहसील सिकराय जिला दौसा।
10/5. बनवारी पुत्र स्व. श्री अर्जुन माली, (अपील पेश करने से पूर्व मृतक)
10/5/1. श्रीमती हरबाई पत्नी स्व. श्री बनवारीलाल
10/5/2. घनश्याम पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल,
10/5/3. अरविन्द पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल, 10/5/2 व 10/5/3 नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती हरबाई पत्नी स्व. श्री बनवारीलाल समस्त जाति माली, निवासीगण ग्राम झूमरी की कोठी कैलाई, तहसील सिकराय जिला दौसा।
11. राम कुंवार माली पुत्र स्व. श्री मूल्या (मृतक दौराने अपील)
11/1. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. श्री राम कुंवार,
11/2. राजा राज उर्फ बच्चू सिंह पुत्र स्व. श्री राम कुंवार,
11/3. गोपाल पुत्र स्व. श्री राम कुंवार,
11/4. कमलेश पुत्र स्व. श्री राम कुंवार,

P.T.O.

(4)

- 11/5. छुट्टन पुत्र स्व. श्री राम कुंवार, समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
12. रामधन पुत्र मूल्या माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
13. सुवा पुत्र हरफूल माली,
14. जगदीश पुत्र झूथा माली,
15. खिलाड़ी पुत्र झूथा माली, समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

16. भागीरथ पुत्र परसा, समस्त जाति माली, निवासी ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा।
18. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका, संयुक्त विधालय, ग्राम झूमरी की कोठी, कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।
19. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दौसा।

—परफोरमा प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री पवन कुमार पारीक एडवोकेट रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 9 11, 12, 14, 15 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.04.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई। दोनों अपीलों की विषयवस्तु एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपील संख्या 27/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00021) के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 273/1/1 मिन रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा जिसके अपीलान्ट्स खातेदार काशतकार काबिज होकर उक्त आराजी भूमि को काशत करते चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट्स के द्वारा राजकीय प्रवेशिका संयुक्त विधालय झूमरी की कोठी को स्कूल बनाने के लिये दान में दी गई। उन्होंने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि से में से होकर पूर्व से एक रास्ता बना हुआ है किन्तु तहसीलदार सिकराय के द्वारा विधालय की भूमि के बीचों बीच में से होकर रास्ता निकालने का नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 22.06.2012 को गलत

P.T.O.

सिद्धिपत्र

रूप से खोला गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा अपील में कथन किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 779 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीगण को पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उक्त रास्ता विधालय के बीचों बीच खोला जाकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि विधालय के बीचों बीच रास्ता निकल जाने के कारण विधालय में पढ़ने वाले विधार्थियों को भारी परेशानी होगी तथा स्कूल में लड़कियाँ भी पढ़ती हैं जबकि पूर्व से ही एक अलग से रास्ता निकाला हुआ है इसके बावजूद जो नया रास्ता खोला गया है वह विधालय के बीच से होकर खोला गया एवं तहसीलदार ने नामान्तरकरण खोलने से पूर्व मौका देखे बिना ही व अपीलार्थीगण को सुने बिना ही आदेश पारित कर नामान्तरकरण खोला गया है, जो आदेश कानूनी तौर पर गलत है। तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 02.05.2013 के आदेश बताते हुए गलत रूप से नामान्तरकरण खोला है जबकि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 02.05.2013 के विरुद्ध अपील भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश जारी है। विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है। इसी भूमि के सम्बन्ध में मौका कमिश्नर को नियुक्त किया गया था उसके द्वारा मौका देखा गया जिसमें रिपोर्ट से स्पष्ट है कि स्कूल के आगे होकर शिवमंदिर के पास होकर अलग से रास्ता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 17.07.2015 पारित किया गया जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मानते हुये कि अपीलार्थीगण नामान्तरकरण खोलने के पूर्व सम्बन्धित पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है एवं बिना साक्ष्य सुनवाई व सबूत को देखे बिना ही तहसीलदार ने आदेश पारित कर नामान्तरकरण खोले जाने में कानूनी तौर पर भूल की है जब मौके पर पहले से ही रास्ता चालू था तो अन्य रास्ता निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं था स्कूल के बीचों बीच रास्ता निकाले जाने से दुर्घटना होने की आशंका रहती है ऐसी स्थिति में न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 22.06.2012 को खारिज करने का आदेश पारित किया व प्रकरण को तहसीलदार सिकराय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अपील संख्या 27/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00021) के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने आदेश में यही माना है कि तहसीलदार ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर सही रूप से निर्णय पारित नहीं किया जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि रास्ता स्कूल के बीचों बीच है, एवं दुर्घटना होने का अन्देशा रहता है इसके बावजूद भी उनके द्वारा रास्ता बन्द करने के बाबत कोई आदेश न देते हुए ही प्रकरण को रिमाण्ड करने का आदेश दिया जो कि स्पष्ट

(6)

रूप से विधि के प्रावधानों के विपरित है, स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि अलग से रास्ता मौजूद है उसके बावजूद विधिवत रूप से प्रकरण का निर्णय नहीं करते हुये प्रकरण को पुनः साक्ष्य सबूत होकर निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने के आदेश पारित किया इस कारण आदेश निरस्त योग्य है।

अपील संख्या 27/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00021) के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया है कि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौका देखा गया जिसमें स्थिति बिलकुल स्पष्ट थी कि रास्ता स्कूल के बीचों बीच से होकर जा रहा है जबकि अन्य रास्ता पहले से ही मौजूद है इसके बावजूद स्वयं न्यायालय ने मौजूदा नामान्तरकरण में खोले जाने वाले रास्ते से दुर्घटना होने का अन्देशा होना माना वही दूसरी और अपील का निस्तारण पूर्णरूप से नहीं करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करने आदेश दिया है वह विधि के प्रावधानों के विपरित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.08.2015 को पारित करते हुये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश करने के निर्देश दिये। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मददेनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावें एवं जो नया रास्ते स्कूल के बीचों बीच कायम किया गया है के बाबत नामान्तरकरण खोला गया है जिसे निरस्त किया जावें एवं उक्त रास्ते के राजस्व रिकार्ड को हटाये जाने के आदेश पारित किये जावें।

अपील संख्या 72/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00039) के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चिरंजीलाल व अन्य द्वारा गलत तथ्य बताकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जबकि तहसीलदार ने ग्राम पंचायत कैलाई के द्वारा कौरम के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2000 में भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 15 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 273/1/1 मिन रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा में से मौके पर निहालपुरा लिंक रोड से संस्कृत स्कूल परिसर तक 389 फीट लम्बाई तथा 16 फीट चौड़ाई तक के लगभग रास्ता कायम है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करने का निर्णय पारित कर दिया। ग्राम पंचायत कैलाई के निर्णय के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट के द्वारा अपीलें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर बैंच जयपुर के द्वारा निर्णित की जाकर मौके पर विवादित रास्ता को को पुराना आम रास्ता माना है और आमजन के आवागमन के काम में आता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कैलाई के कौरम के निर्णय दिनांक 16.10.2000 के निर्णय को सही माना गया परन्तु रेस्पोंडेन्ट ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य बनाकर परेशान करने की नीयत से अपील प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2015 पारित किया है, जो निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलीय न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 23.10.2013 के मुताबिक प्रधानाध्यापक राजकीय प्रवेशिका

P.T.O.

(7)

संस्कृत विद्यालय झूमरी की कोठी ने अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 08.10.2013 की पालना में भू.अ. निरीक्षक सिकन्दरा व पटवारी हल्का कैलाई, थानाधिकारी सिकन्दरा मय जाप्ते के ग्राम कैलाई के आदेश आराजी भूमि खसरा नम्बर 364/273/1 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक में दर्ज है। मौके पर मुताबिक नक्शा रास्ते को जे.सी.बी चलवाकर चालू करवाया गया कि उक्त रिपोर्ट पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा गौर नहीं किया गया है जबकि उक्त रास्ता मौके पर चालू है तथा ग्राम पंचायत कैलाई के निर्णय में रेस्पोजेन्ट के मौरिस गोविन्दा ने अपनी सहमति दे मौके पर रास्ता होने की सहमति दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर भी कोई गौर न करते हुए विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.07.2015 पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 72/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00039) के अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट्स प्रत्यर्थीगण ने जानबुझकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय से उक्त विवादित रास्ते की भूमि के तथ्यों तथा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिसमें पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व का विनिश्चय माननीय उच्च न्यायालय ने एकल पीठ एवं खण्डपीठ ने अपने निर्णयों में पारित किया जा चुका है किन्तु रेस्पोजेन्ट ने उक्त तथ्यों को छिपाकर एक पक्षीय रूप से उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2015 पारित करवाया है, जो कि प्रथम दृष्टया एकपक्षीय एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील संख्या 72/2016 (जीसीएमएस नम्बर 2016/00039) उनवान रामकुंवार बनाम चिरंजीलाल स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2015 अपास्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 779 वाके ग्राम कैलाई पर पारित आदेश दिनांक 22.06.2012 को बहाल रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2012 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2015 का अवलोकन किया गया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17.08.2015 की पालना में प्रकरण की सुनवाई की जाकर निम्नानुसार निष्कर्ष प्रदान किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि खातेदार के पास अपने खेत में जाने हेतु कोई भी अन्य वैकल्पिक रास्ता/मार्ग उपलब्ध नहीं हो तो समरी इन्क्वारी करने के पश्चात् उसे खेत में आने-जाने हेतु रास्ता उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.05.2012 में इस प्रकार की कोई समरी जाँच किया जाना विदित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 17.07.2015 में भी इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई और मात्र यह अंकित किया गया है कि जब 25.10.2002 को मौका देखा गया उस समय अपीलान्त ने अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने का कथन नहीं किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

P.T.O.

संस्कृत विद्यालय झूमरी

(8)

द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए सन् 2012 में ही जोड़ी गई है। ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक रास्ते का तर्क 25.05.2002 को अपीलान्ट द्वारा किस नियम के अन्तर्गत किया जाना था बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। प्रकरण में यदि कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता खेत में आने-जाने हेतु उपलब्ध है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 251ए प्रकरण पर चर्चा नहीं होती है। जहाँ तक स्कूल के बीच में से रास्ता दिया जाने का प्रश्न है यह भी प्रथम दृष्टया जाँच एवं जाँच पश्चात् समग्र तथ्यों के विवेचन पश्चात् निर्णयन का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं की जाँच कर समस्त पक्षकारान को सुनवाई तथा साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर तीन माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

1. आया कि पक्षकारान को आने जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशानुसार वैकल्पिक रास्ता/मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं।
2. आया कि रास्ता स्कूल के बीच से गुजरता है अथवा नहीं तथा यदि स्कूल के बीच में से गुजरता है तो स्कूल के मध्य में रास्ता कायम किये जाने से बच्चों की पढ़ाई पर अथवा अन्यथा कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।
3. आया कि क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत पूर्व विचाराधीन प्रकरण में धारा 251 ए के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा सकती है अथवा नहीं।
4. आया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता कायम करते समय भूमि विवादग्रस्त के खातेदारान द्वारा लिखित अथवा अन्यथा कोई सहमति दी गई थी अथवा नहीं।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,
जयपुर।